निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन 1937 (श0)
(सं0 पटना 175) पटना, वृहस्पतिवार, 25 फरवरी 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
24 फरवरी 2016

एस0ओ0 59, दिनांक 25 फरवरी 2016——कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली,1950 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–

(1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. **बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 100 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली, 1950 का नियम 100 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''100 (1) वार्षिक रिटर्न।–प्रत्येक कारखाने के प्रबंधक पूर्ववर्त्ती वर्ष का वार्षिक रिटर्न वर्तमान वर्ष के 15 जनवरी तक मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रपत्र–20 में प्रस्तुत करेंगे।

परंतु–

(क) सरकार द्वारा अधिसूचित वैसे प्रत्येक कारखाने जिस में साधारतया 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो, में कैंटीन होने की सूचना सिर्फ प्रबंधक द्वारा दिया जाएगा।

(ख) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 30 महिला श्रमिक कार्यरत हो में क्रेच की सुविधा की सूचना प्रत्येक कारखाना के प्रबंधक द्वारा दी जाएगी।

(ग) वैसे सभी कारखाने जिस में साधारण रूप से 150 श्रमिक कार्यरत हो में आश्रय, विश्राम गृह होने की सूचना प्रबंधक द्वारा दी जाएगी।

(2) छुट्टियों का वार्षिक रिटर्न।– प्रत्येक के अंत के पूर्व, कारखाना प्रबंधक आने वाले वर्ष में कारखाना बंद करने के आशयित सभी दिनों की सूचना देते हुए एक रिटर्न मुख्य कारखाना निरीक्षक को देंगे। यह रिटर्न उस वर्ष के लिए जमा करना होगा चाहे कारखाना संबंधित वर्ष में चालू अथवा बंद होः

परंतु राज्य सरकार किसी निर्दिष्ट कारखाने को या किसी वर्ग के कारखाने की या किसी विशेष क्षेत्र के कारखाने को इस रिटर्न से मुक्त कर सकती है।

परंतु यदि कारखाने द्वारा वास्तविक तिथि या अवकाश की तिथि बताने के बदले छुट्टी अनुमोदन का प्रचलन हो तो रिटर्न में निम्नलिखित के संबंध में उल्लेख किया जाएगाः—

(क) रविवार एक साप्ताहिक छुट्टी नियमित रूप में मान्य हो, मान्य है,

(ख) सप्ताह में एक नियत दिन नियमित रूप से छुट्टी मान्य है या

(ग) मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार छुट्टी मान्य हैः

परंतु किसी कारखाने के प्रबंधक उक्त छुटि्टयों या छुटि्टयो की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करते है तो उसकी पूर्व सूचना निरीक्षक को दी जानी चाहिएः

परंतु सरकार उक्त रिटर्न को मैनुअली अथवा ऑनलाईन अथवा डिजीटल फॉरमेट में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

(सं0 1/एफ1–106/2016 श्र0सं0–714)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र,
सरकार के अवर सचिव।

24 फरवरी 2016

एस0ओ0 60, एस0ओ0 59, दिनांक 25 फरवरी 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेंगा।

(सं0 1/एफ1–106/2016 श्र0सं0–715)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र नारायण मिश्र,
सरकार के अवर सचिव।

The 24th February 2016

S.O. 59, dated 25th February 2016—In exercise of the Powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Factories Rules 1950:-

1. Short title extent and commencement:-

(1) These Rules may be called the Bihar Factories (Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole state of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in official gazette.

2. Substitution of Rule-100 of the Bihar Factories Rules, 1950.

Rule 100 of the said Rules, 1950 shall be substituted by the following:-

"100 (1) Annual Returns: - The manager of every factory shall furnish, annual returns of the subsequent year to the Chief Inspector not later than the 15th January of the present year in Form- 20:

Provided that-

(a) The information being canteen in every factory shall be furnished annual returns of the subsequent year only by the manager of every factory notified by the State Government wherein more than 250 workers are ordinarily employed.

(b) The information regarding crèche facility in such all factories shall be furnished only by the manager of every factory wherein more than 30 women workers are ordinarily employed, and

(c) The information being shelters, rest-rooms in all the factories shall be furnished by the manager of every factory wherein more than 150 workers are ordinarily employed.

(2) Annual Returns of Holidays: - The manager of every factory shall, before the end of each year, furnish a return to the Chief Inspector giving notice of all the days on which it is intended to close the factory during the next year. This return shall be submitted whether the Factory is or isn't working during the year to which it relates:

Provided further that The State Government, may exempt any specified factory or any class of factories or factories of any special areas from this returns provided that if the

system of approval of the Holidays instead of showing the actual date or dates of Holidays, it will mentioned relating to the following:-

(a) Sundays are observed as weekly holidays regularly,

(b) A fixed day in the week is observed as a holiday regularly, or

(c) Holidays are observed according to a list approved by the Chief Inspector of Factories.

Provided that where the manager of any factory makes any change in the said holidays or a list of holidays, prior intimation of the same shall be given to the Inspector.

"Provided that the Government may allow to furnish the above return manually or on line or in digital formats".

(No. 1/F1-106/2016L&R—714)
By order of the Governeor of Bihar
AMARENDRA NARAYAN MISHRA,
Under Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 175-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in